

**भारत सरकार**  
**केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण**  
(विद्युत मंत्रालय)  
**हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए**  
**'केन्द्रीय विद्युत मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना वर्ष 2011'**

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 'केन्द्रीय विद्युत मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना' वर्ष 2011 (01 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 की अवधि में प्रकाशित पुस्तक) के अंतर्गत प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। पुरस्कार राशि निम्न प्रकार से है

- प्रथम पुरस्कार (एक) - 60,000/-रु०
  - द्वितीय पुरस्कार (एक) - 40,000/-रु०
  - तृतीय पुरस्कार (एक) - 25,000/-रु०
  - सांत्वना पुरस्कार (एक) - 10,000/-रु०
- प्रविष्टि भेजने के इच्छुक व्यक्ति अन्य जानकारी के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा), के.वि.प्रा. से संपर्क करें।
  - पुरस्कार नियतन के लिए संलग्न प्रपत्र के साथ प्रविष्टियाँ 30.09.2011 तक निम्नलिखित पते पर अवश्य भेज दी जाएं।

सचिव,  
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,  
सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110606.  
दूरभाष- 26732517, टेली.फैक्स- 26108476

**केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना वर्ष.....**

1. पुस्तक का नाम .....
2. पुस्तक का विषय .....
3. (i) लेखक/लेखकों के नाम .....
- (ii) पूरा पता .....
- (iii) दूरभाष संख्या .....
4. (i) प्रकाशक का नाम .....
- (ii) प्रकाशक का पूरा पता .....
- (iii) मूल्य .....
- (iv) प्रकाशन वर्ष .....
- (v) कॉपीराइट किसके अधीन है .....
5. क्या पुस्तक को किसी पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें :
  - (क) किस वर्ष भेजी गई .....
  - (ख) किसे भेजी गई (पूरा पता) .....
  - (ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें .....
6. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि -
  - (i) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।
  - (ii) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप में हिंदी में लिखी गई है ।
  - (iii) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्टि करने से कॉपीराइट अधिनियम(यथा संशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है ।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर .....

**नोट:**

1. इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110606 को भेजा जाए ।
2. लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत् हस्ताक्षरित सारांश भी संलग्न किया जाए ।

स्थान: .....

दिनांक: .....